r / 193

संख्याः ||२० / उन्तीस(2) / 12–2(119पे0) / 2010

प्रेषक,

जी0 बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक २४ सितम्बर, 2012

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की पोखरी ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 822 / DPR-74 /2010–11 दिनांक 26–02–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की पोखरी ग्राम समूह पेयजल योजना की अनुमानित लागत ₹ 1999.23 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 1576.03 लाख में से ₹ 150.90 लाख (सेन्टेज की धनराशि) को कम करते हुए शेष धनराशि ₹ 1425.13 लाख इसी प्रकार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत संस्तुत धनराशि ₹48.62लाख में से ₹ 6.66 लाख (सेन्टेज की धनराशि) को कम करते हुए शेष धन0 ₹ 41.96 लाख इस प्रकार कुल धन0 ₹1467.09 लाख(₹ चौदह करोड़ सरसठ लाख नौ हजार मात्र) सेन्टेज रहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(I)– उक्त योजना की केवल प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है, इस हेतु कोई धनराशि राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(II)– यदि योजना में वन भूमि का हस्तान्तरण होना है तो वन भूमि विभाग को हस्तान्तरण के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(III)– प्रति वर्ष माह अप्रैल, मई तथा जून में पानी का discharge लिया जाय तथा 03 वर्ष के न्यूनतम discharge पर योजना निर्मित की जानी चाहिए पूर्व में निर्मित योजनाओं की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उसी क्षेत्र के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले सिविल कार्यो को यथा आवश्यकता उनकी कार्य स्थिति के अनुरूप उपयोग किया जाय।

(IV)– पूर्व निर्मित योजनाओं के अन्तर्गत डाले गये पाईपो का उनकी भौतिक स्थिति के अनुसार यथासम्भव उपयोग किया जाये। पुरानी पाईप लाईनों के उपयुक्त /अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में जिला स्तर पर अन्य विभागों के तकनीकी अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए Joint inspection हेतु एक समिति बनाई जाय जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्माण से पूर्व D.P.R. अथवा निर्माण के समय यथास्थिति का समावेश किया जाये।

क्रमशः.........2

21-09-12

(V)– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय, उत्तराखण्ड को प्राप्त होने वाली धनराशि में से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा मात्र प्रशासकीय स्वीकृति दी जा रही है।

(VI)– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(VII)– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(VIII)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

(IX)– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(X)– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(XI)– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का निरीक्षण भलीभॉति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(XII)– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(XIII)– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(XIV)– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(XV)– योजना पर सेन्टेज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(XVI)– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियम तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता है तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः..........3...

21-09-12

(XVII)–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी ए कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(XVIII)–व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

(XIX)–मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करें।

(XX)- कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 गठित कर लिया जाय जिसमें defect liability clause का प्राविधान भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 254/XXVII (2)/2012 दिनांक 10 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्याः (120 (1)उन्तीस(2)/12–2(119पे0)/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त,गढ़वाल मण्डल।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, चमोली।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
12. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
13. गार्ड फाईल।

21-09-12

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव,